**भारत सरकार**
**कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 157**
**उत्तर देने की तारीख 04 दिसंबर, 2023**
**सोमवार, 13 अग्रहायण, 1945 (शक)**

**महाराष्ट्र में कौशल केंद्र**

**157. श्री गजानन कीर्तिकर: श्री कृपाल बालाजी तुमाने:**

**क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) देश में कौशल केंद्रों का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र सहित उन राज्यों में और अधिक कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का विचार रखती है जहां प्रवासन दर अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) महाराष्ट्र में ऐसे कौशल विकास केंद्रों में कौशल विकास हेतु योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा आधारभूत अवसंरचना और आवश्यक सहायता के लिए क्या पहल की जा रही है;

(छ) महाराष्ट्र सहित उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित निधि का राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ज) उक्त कौशल विकास केंद्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**कौशल विकास और उदयमशीलता राज्य मंत्री**
**(श्री राजीव चंद्रशेखर)**

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) सिम के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) को सहायता की स्कीम, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के तहत देश भर के कौशल केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से सभी भारतीय युवाओं को कौशल, पुनरकौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी, 2020) के तहत परिकल्पित सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और मुख्यधारा में लाने के लिए, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में कौशल हब स्थापित किए हैं। इन शैक्षणिक

संस्थानों में उपलब्ध स्थायी बुनियादी ढांचे और अन्य संसाधनों का उपयोग करने के उद्देश्य से सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों (कौशल विश्वविद्यालयों सहित) और अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में कौशल हब स्थापित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य सहित देश में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0) के तहत स्थापित कौशल हबों का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी पीएलएफ़एस वर्ष 2020-21 पर आधारित रिपोर्ट माइग्रेशन इन इंडिया, 2020-21 के अनुसार, भारत में कुल प्रवासन दर 28.9 प्रतिशत थी। कुल प्रवासी व्यक्तियों में से लगभग 10.8 प्रतिशत व्यक्ति रोजगार संबंधी कारणों से प्रवासित हुए।

(ग) से (ज) कौशल हबों की स्थापना एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। जिला कौशल विकास योजनाओं के अनुसार क्षेत्र में कौशल की स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए कौशल हब स्थापित किए गए हैं। पीएमकेवीवाई के तहत, दिनांक 31.10.2023 तक, महाराष्ट्र राज्य में 122 कौशल हब स्थापित किए गए हैं। चूंकि कौशल हबों की स्थापना शैक्षणिक संस्थाओं के उपलब्ध बुनियादी ढांचे में की जाती है, इसलिए पीएमकेवीवाई के तहत कौशल हबों की स्थापना के लिए अलग से कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। इस स्कीम के दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार इन कौशल हबों को केवल कौशल प्रशिक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

**अनुबंध**

**दिनांक 04.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 157 के भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में**

**देश में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0) के तहत स्थापित कौशल केंद्रों का राज्य-वार विवरण (दिनांक 31.10.2023 तक)**

| क्र. सं. | राज्य | कौशल केन्द्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 249 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 2 |
| 4 | असम | 45 |
| 5 | बिहार | 32 |
| 6 | चंडीगढ़ | 3 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 36 |
| 8 | दिल्ली | 51 |
| 9 | गोवा | 3 |
| 10 | गुजरात | 63 |
| 11 | हरियाणा | 69 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 16 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 44 |
| 14 | झारखंड | 23 |
| 15 | कर्नाटक | 28 |
| 16 | केरल | 60 |
| 17 | लद्दाख | - |
| 18 | मध्य प्रदेश | 60 |
| **19** | महाराष्ट्र | **122** |
| 20 | मणिपुर | 5 |
| 21 | मेघालय | 3 |
| 22 | मिजोरम | 6 |
| 23 | नगालैंड | 21 |
| 24 | ओडिशा | 67 |
| 25 | पुदुचेरी | 1 |
| 26 | पंजाब | 36 |
| 27 | राजस्थान | 54 |
| 28 | सिक्किम | 6 |
| 29 | तमिलनाडु | 54 |
| 30 | तेलंगाना | 41 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 4 |
| 32 | त्रिपुरा | 14 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 229 |
| 34 | उत्तराखंड | 18 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 51 |
| | **योग** | **1,517** |

******